न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण कमांक /निगरानी/2015 नि -501-II-16

राजेश मेवाड़ा आ. श्री भारत सिंह आयु वयस्क
निवासी ग्राम अमरोद तहसील व जिला सीहोर म0प्र0..............................निगरानीकर्ता

विरूद्ध

01. गजराज सिंह आ. श्री चांद सिंह आयु वयस्क
02. हरनाथ सिंह आ. श्री भवाना आयु वयस्क
दोनों निवासी ग्राम अमरोद तहसील व जिला सीहोर म0प्र0
03. शिवकुमार आ. श्री आर.डी. सिंह आयु वयस्क
निवासी बैरागढ़ खुमान जिला भोपाल म0प्र0।..............................रेस्पाण्डेंटगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 14/09/2015 प्रकरण कमांक 733/अपील/14-15 पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित किया गया।

प्रकरण जो आहुत किये जाने हैः-

01. प्रकरण कमांक 733/अपील/14-15 आदेश दिनांक 14/09/2015 पारित द्वारा श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल

02. प्रकरण कमांक 63/अपील/13-14 पारित आदेश दिनांक 17/08/2015 न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, सीहोर

श्रीमान् जी,

निगरानीकर्ता माननीय अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल के न्यायालय द्वारा पारित संदर्भित आदेश से परिवेदित एवं दुखी होकर निम्नांकित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत करता हैः-

प्रकरण के तथ्य

01. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता राजेश मेवाड़ा आ. श्री भारत सिंह मेवाड़ा के द्वारा ग्राम अमरोद की शासन द्वारा प्रदत्त भूमि सर्वे नंबर 181/1 रकबा 4.94 एकड़ अर्थात 2.080 हेक्टेयर का पट्टा रेस्पाण्डेंट कमांक 02 हरनाथ सिंह को

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R 501-नि/16 .... जिला .... सीहोर .....

राजेश मेवाडा वि. गजराज, हरनाथ, शिवकुमार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-2-16	मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के ग्राह्यता पर तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन किया । तर्क में कहा गया कि शासन द्वारा गैरनिगराकार-2 हरनाथ को पट्टा, जो अन्तरित नहीं करने की शर्त पर दिया गया था, किन्तु उसने गैरनिग.-1 गजराज के साथ मिलकर गैरनिग.-3 शिवकुमार को वह भूमि बेचकर संशोधन पंजी में नामान्तरण करा लिया । इसके विरुद्ध निगराकार राजेश ने SDO सीहोर के समक्ष अपील की, जहाँ प्र.क्र.-63/अपील/13-14 में पारित आदेश दि. 17.8.15 से अपील स्वीकार हुई । इसके विरुद्ध गैरनिगराकार की ओर से अपरआयुक्त भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील हुई । जहाँ आक्षेपित आदेश दि 14.9.15 से SDO के आदेश दि 17.8.15 का क्रियान्वयन स्थगित किया गया । अधिवक्ता ने कहा कि केवियट आवेदन लगाने के बावजूद यह स्थगनादेश	

[कृ. प. उ.

A-501-II/16 जिला - सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उन्हें सुने बगैर शासनहित के प्रतिकूल किया गया है, जिसे निरस्त किया जाना चाहिए क्योंकि पट्टे की शर्तों का प्रथमदृष्ट्या उल्लंघन है । प्रकरण में विचारोपरान्त मैं अपर आयुक्त, भोपाल को यह निर्देश देना उपयुक्त समझता हूँ कि वे, उनके न्यायालय का अपीलीय प्रकरण, उभयपक्ष को पक्षसमर्थन का समुचित अवसर देते हुए एवं अभिलेखों, साक्ष्यों आदि के प्रकाश में, उन्हें रा. मं. के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम 3 माह के भीतर, बोलते स्वरूप के आदेश द्वारा, अनिवार्य रूप से निराकृत करें, क्योंकि प्रकरण मे शासनहित एवं पट्टे की शर्तों के उल्लंघन का बिन्दु भी शामिल होना प्रतीत है । साथ ही उन्हें यह भी निर्देश देता हूँ कि आगे कोई इन प्रकरण में स्थगन बगैर केवियटकर्ता को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर दिये, नहीं दें या बढ़ाएं । इन निर्देशों के साथ यह प्रकरण रा.मं. से समाप्त किया जाता है । पक्षकार एवं अपर आयुक्त, भोपाल सूचित हों । दा-द-हो ।	

(सदस्य)

M